APP-A
Crim-I

FORM No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम कोटा

रामानंद बनाम भगवानंद

किस्म मुकदमा 53/188 नं. 51 सन् 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
27/10/25	पत्रावली आदेश वास्ते पेश हुई। प्रतिवादी स्मृति श्रृंगी की ओर से प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि प्रतिवादी नं0 4/1 को ख0नं0 50 में प्रतिवादी क्रम 4 का निहित पंजीकृत वसीयत से प्राप्त हुआ है। विभाजन प्रस्ताव में प्रार्थीया को नया खाता संख्या 4 में ख0नं0 46/4 रकबा 0.632 है0 हिस्सा अंकित किया है। प्रार्थीया ख0नं0 50 में से ही हिस्सा लेने चाहती है। जिसके सम्बंध में मौका रिपोर्ट तैयार करते समय बता दी गई थी। इसलिए प्रार्थीया को खाता संख्या 6 में अंकित सरला श्रृंगी का खनं0 50/1 रकबा 0.6184 हिस्सा दे दिया जावे और खाता संख्या 4 में अंकित हिस्सा सरला श्रृंगी दे दिया जावे, इसमे प्रार्थीया को आपत्ति नही है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना है कि उपरोक्तानुसार प्रार्थीया को उसका हिस्सा नये खाता दर्ज किया जाकर कब्जा संभलाया जावे, एवं अन्तिम डिक्री पारित की जावे। वादीगण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वसीयतत के अनुसार कोई हिस्सा/खसरा नं0 प्राप्त होना स्वीकार नही है। प्रतिवादीया मनोरमा देवी की मृत्यु हो चुकी है। तथा उनकी कायम मुकामान स्मृति श्रृंगी रिकॉर्ड पर आई। प्रिलिमिनरी डिक्री रिपोर्ट तैयार करने हेतु सभी पक्षकारों को इसकी विधिवत सूचना दी गई थी। जिसमें प्रार्थीया स्मृति श्रृंगी को भी सूचित किया गया था। उनके पति विपुल गुप्ता उपस्थित थे तथा उनके सहमति के अनुसार बंटवारे किये गये है। रिपोर्ट के समय इस प्रकार की कोई आपत्ति तहसीलदार और माननीय न्यायालय को नही भी की गई। यह रिपोर्ट उनकी सहमति और उपस्थिति के उपरांत की तैयार की गई है। प्राथमिक डिक्री रिपोर्ट में किये गये विभाजन के अनुसार किसी को भी कोई अनुचित लाभ व हानि नही हो रही है। किसी प्रकार कि कोई वसीयत माननीय न्यायालय और अन्य पक्षकारगणों पर बाध्यकारी नही है। विभाजन रिपोर्ट विधिक प्रकिया अनुसार तैयार की गई है। ऐसे मै किसी एक के चाहने से इसमें केवल उसके अनुरूप पुनः बदलाव करना अनुचित होगा तथा भविष्य में व्यर्थ विवाद का कारण बनेगा। इस प्रकार हर व्यक्ति आपत्ति करेगा तथा मंशाअनुसार हिस्सा चाहेगा जिससे वाद का अंतिम निपटारण नही हो पाएगा। प्रतीत होता है कि प्रतिवादी क्रम 2 के कायम मुकामान व प्रतिपक्षीया 4/1 में दुरभी संधि हो गई है जो प्रकारण को डिले करने के उद्देश्य से उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।	

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए

बहस उभयपक्ष अधिवक्ता सुनी गई। उभयपक्षकारान की ओर से अपने अपने प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराया गया।

पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजों को अघोपांत अवलोकन किया गया। विभाजन प्रस्ताव का भी अवलोकन किया गया। प्रतिवादी नं0 4/1 की ओर से निवेदन किया है कि विभाजन प्रस्ताव में प्रार्थीया को नया खाता संख्या 4 में ख0नं0 46/4 रकबा 0.632 है0 हिस्सा अंकित किया है। प्रार्थीया वयीयत अनुसार ख0नं0 50 में से ही हिस्सा लेने चाहती है। जिसके सम्बंध में मौका रिपोर्ट तैयार करते समय बता दी गई थी। वादीगण की ओर से प्रतिवादी नं0 4/1 के उक्त कथन का खण्डन करते हुय निवेदन किया है कि प्रिलिमिनरी डिक्री रिपोर्ट तैयार करने हेतु सभी पक्षकारों को इसकी विधिवत सूचना दी गई थी। जिसमें प्रार्थीया स्मृति श्रृंगी को भी सूचित किया गया था। उनके पति विपुल गुप्ता उपस्थित थे तथा उनके सहमति के अनुसार बंटवारे किये गये है। विभाजन प्रस्ताव के अवलोकन से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु तहसीलदार लाडपुरा द्वारा सभी पक्षकारों को विधिवत सूचना दी गई थी। जिसमें प्रार्थीया स्मृति श्रृंगी को भी सूचित किया गया था जिस कारण से उनके पति विपुल गुप्ता उपस्थित थे एवं उनके द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर हस्ताक्षर भी किये गये है। विभाजन प्रस्ताव में ऐसा कोई तथ्य अंकित नही है जिससे यह स्पष्ट होता हो कि प्रतिवादी नं0 4/1 की ओर से विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय आपत्ति दर्ज करवाई गई है।

हस्तगत प्रकरण में दिनांक 31.03.2004 को वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 तथा 3 लगायत 7 के पक्ष में 1/7, 1/7 हिस्से की प्राथमिक डिक्री एवं दिनांक 16.08.2024 को वादी एवं प्रतिवादी 1, 3, 4, 5, 6 के पक्ष में 1/6, 1/6 हिस्से की संशोधित प्राथमिक डिक्री जारी की गई है जिसके अनुसार उपरोक्त आराज़ी उभयपक्षकारान की शामलाती एवं संयुक्त खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। वर्तमान में उक्त आराजी का विधिवत बंटवारा नही हुआ है। कानूनन संयुक्त खातेदारी की भूमि पर प्रत्येक इंच पर जब तक विधिवत विभाजन नही हो जाता है कब्जे की अवधारणा मानी जाती है। विभाजन नही होने के कारण किसी भी खातेदारान को किसी भी विशिष्ट भू–भाग की वसीयत किये जाने का अधिकार प्राप्त नही है। अतः प्रतिवादी नं0 4/1 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार योग्य होने से खारिज किया जाता है। तहसीलदार लाडपुरा द्वारा दोनो पक्षों को नोटिस दिया जाकर स्वयं मौका देखकर अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी भूमि का ध्यान रखते हुये उक्त विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है जो किसी भी प्रकार से त्रुटिपूर्ण प्रतीत नही होता है। उभयपक्षकारान को आपत्तियों पर सुने जाने एवं तहसील रिपोर्ट के अवलोकन के पश्चात प्रस्तुत दावा निम्नानुसार अन्तिम डिक्री किया जाता है कि ग्राम नयाखेड़ा तहसील लाडपुरा जिला कोटा की आराजी के खसरा नं0 46 रकबा 1.35 है0, खसरा नं0 47 रकबा 0.37 है0, खसरा नं0 48 रकबा 0.01 है0, खसरा नं0 49 रकबा 0.74 है0, खसरा नं0 50 रकबा 1.30 है0, कुल किता 4

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए

कुल रकबा 3.77 हे0 भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्नानुसार भूमि विभाजित की जाती है–

नाम खातेदार	ख0 नं0	रकबा
1.रविशंकर पुत्र रामानंद 2.कृपाशंकर पुत्र रामानंद 3.गौरव पुत्र रामानंद 4.हेमलता पत्नि ओमप्रकाश पुत्री रामानंद 5.उमेश पत्नि चन्द्रप्रकाश पुत्री रामानंद 6.निर्मला पत्नि दिनेश पुत्री रामानंद	50/2	0.6184
चन्द्रकला पत्नि हीरालाल जाति ब्राह्मण	46/3 49/1	0.30 0.3183
	किता 2	0.6183
1.दिनेश पुत्र गजानंद 2.प्रवीण पुत्र गजानंद 3.ज्ञानेश पुत्री गजानंद 4.भावना पुत्री गजानंद 5.सपना पुत्री गजानंद 6.श्याम उर्फ रितेश पुत्र गजानंद 7.राम उर्फ रितेश पुत्र गजानंद 8.नितेश उर्फ लल्ला पुत्र गजानंद	48 46/1 47 49/3 किता 4	0.01 0.06 0.37 0.1783 0.6183
स्मृति पुत्री राजेश श्रृंगी	46/4 49/2 50/3	0.3117 0.2434 0.0632
	किता 3	0.6183
श्रीमति संतोष पत्नि गोविन्द	46/2	0.6183
श्रीमति सरला श्रृंगी पत्नि श्री नंदलाल श्रृंगी	50/1	0.6183

अन्तिम डिकी पर्चा अलग से तहरीर हो। विभाजन प्रस्ताव में संलग्न नजरी नक्शा ख0नं0 46, 47, 48, 49, 50 निर्णय का भाग रहेगा। तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार अन्तिम डिकी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में पृथक पृथक खाता अमलदरामद कर पृथक पृथक लगान कायम करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

27/X/25

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

मूल वाद में फाइनल डिक्री

(आदेश 20 नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा (राज.)

रामानंद श्रृंगी आ0 स्व0 परमानंद श्रृंगी निवासी कोटड़ी गोरधनपुरा कोटा (मृतक) जरिये कायम मुकामान
1/1 रविशंकर पुत्र स्व0 श्री रामानंद श्रृंगी निवासी 30/366 कोटड़ी कोटा
1/2 कृपाशंकर श्रृंगी पुत्र स्व0 श्री रामानंद श्रृंगी निवासी 13 गुलाब बाग कोटा
1/3 गौरव श्रृंगी पुत्र स्व0 श्री रामानंद श्रृंगी निवासी 30/366 कोटड़ी
1/4 हेमलता पत्नि श्री ओमप्रकाश पुत्री स्व0 श्री रामानंद श्रृंगी निवासी अल्कापुरी रतलाम
1/5 उमेश श्रृंगी पत्नि श्री चन्द्रप्रकाश पुत्री स्व0 श्री रामानंद श्रृंगी निवासी इन्द्रविहार
1/6 निर्मला पत्नि श्री दिनेश श्रृंगी पुत्री स्व0 श्री रामानंद श्रृंगी निवासी दिलशाद गार्डन नई दिल्ली

-वादीगण

बनाम

1 गजानंद श्रृंगी आत्मज श्री परमानंद श्रृंगी जाति ब्राह्मण निवासी रामपुरा, कोटा मृतक जरिये कायम मुकाम
1/1 दिनेश पुत्र स्व0 गजानन्द जाति ब्राह्मण
1/2 प्रवीण पुत्र स्व0 गजानन्द जाति ब्राह्मण
1/3 ज्ञानेश पुत्री स्व0 गजानन्द जाति ब्राह्मण पत्नि श्री कुलदीप
1/4 भावना पुत्री स्व0 गजानन्द जाति ब्राह्मण पत्नि श्री गजेन्द्र
1/5 सपना पुत्री स्व0 गजानन्द जाति ब्राह्मण
1/6 श्याम उर्फ रितेश पुत्र स्व0 गजानन्द जाति ब्राह्मण
1/7 राम उर्फ रितेश पुत्र स्व गजानंद जाति ब्राह्मण
1/8 नितेश उर्फ लल्ला पुत्र स्व0 गजानन्द जाति ब्राह्मण
2 स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार लाडपुरा कोटा
3 चन्द्रकला श्रृंगी विधवा श्री हीरालाल जाति ब्राह्मण निवासीनी रामगंजमण्डी जिला कोटा
4 मनोरमा देवी पत्नि श्री श्रीकृष्ण श्रृंगी निवासीनी रेल्वे कॉलोनी गंगापुर सिटी (मृतक) जरिये कायम मुकाम
4/1 स्मृति श्रृंगी पुत्री श्री राजेश श्रृंगी निवासीनी 102 बजरंगनगर पुलिस लाइन कोटा
5 श्रीमति संतोष पत्नि श्री गोविंद नारायण श्रृंगी निवासीनी पाटनपोल कोटा
6 श्रीमति सरला श्रृंगी पत्नि श्री नन्दलाल श्रृंगी निवासीनी सुमेरगंजमण्डी जिला बूंदी
7 कमला देवी श्रृंगी पत्नि स्व0 श्रद्धानन्द श्रृंगी निवासीनी फतहगढी रामपुरा कोटा मृतक जरिये कायम मुकाम

-प्रतिवादीगण

-:: वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम ::-

मुकद्मा नं. 51/2001

वाद में आज तारीख को डिक्रीदार के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर तहसीलदार लाडपुरा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार ग्राम नयाखेड़ा तहसील लाडपुरा जिला कोटा की आराजी के खसरा नं0 46 रकबा 1.35 है0, खसरा नं0 47 रकबा 0.37 है0, खसरा नं0 48 रकबा 0.01 है0, खसरा नं0 49 रकबा 0.74 है0, खसरा नं0 50 रकबा 1.30 है0, कुल किता 4 कुल रकबा 3.77 हे0 भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्नानुसार फाईनल अर्थात् अन्तिम डिक्री जारी की जाकर भूमि विभाजित की जाती है-

नाम खातेदार	ख0 नं0	रकबा	दिशा
1.रविशंकर पुत्र रामानंद 2.कृपाशंकर पुत्र रामानंद 3.गौरव पुत्र रामानंद	50/2	0.6184	

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

4.हेमलता पत्नि ओमप्रकाश पुत्री रामानंद 5.उमेश पत्नि चन्द्रप्रकाश पुत्री रामानंद 6.निर्मला पत्नि दिनेश पुत्री रामानंद			
चन्द्रकला पत्नि हीरालाल जाति ब्राह्मण	46/3 49/1 किता 2	0.30 0.3183 0.6183	
1.दिनेश पुत्र गजानंद 2.प्रवीण पुत्र गजानंद 3.ज्ञानेश पुत्री गजानंद 4.भावना पुत्री गजानंद 5.सपना पुत्री गजानंद 6.श्याम उर्फ रितेश पुत्र गजानंद 7.राम उर्फ रितेश पुत्र गजानंद 8.नितेश उर्फ लल्ला पुत्र गजानंद	48 46/1 47 49/3 किता 4	0.01 0.06 0.37 0.1783 0.6183	
स्मृति पुत्री राजेश श्रृंगी	46/4 49/2 50/3 किता 3	0.3117 0.2434 0.0632 0.6183	
श्रीमति संतोष पत्नि गोविन्द	46/2	0.6183	
श्रीमति सरला श्रृंगी पत्नि श्री नंदलाल श्रृंगी	50/1	0.6183	

विभाजन प्रस्ताव में संलग्न नजरी नक्शा ख0नं0 46, 47, 48, 49, 50 निर्णय का भाग रहेगा। इस वाद के खर्चे लेखे...X....रूपये की राशि, आज की तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर... X ...प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से व्याज सहित.... X .....द्वारा ..... X .....को दी जाए ।

यह डिक्री आज तारीख 27 माह 10 सन् 25 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

वाद के खर्चे

वादी	रूपये	प्रतिवादी	रूपये
1.वादपत्र के लिये स्टाम्प 2.शक्तिपत्र के लिये स्टाम्प 3.प्रदर्षो के लिये स्टाम्प 4.........रूपये पर प्लीडर की फीस 5.साक्षियों केलिये निर्वाह व्यय 6.कमिष्नर की फीस 7.आदेषिका की तामील		.शक्तिपत्र के लिये स्टाम्प अर्जी के लिये स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिये निर्वाह व्यय आदेषिका की तामील कमिष्नर की फीस	

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा